भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हज़ार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CK 953909

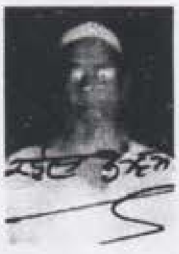

लीज़ डीड अवधि 19 वर्ष 11 माह

(दि0 21.12.2018 से बमुददत 19 वर्ष 11 माह तक)

यूनीक कोड–62

अ0नि0प्रथम पक्ष

अ0नि0द्वितीय पक्ष

19-8-20

कुमार अविनाश
प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकबरा, केसर गंज
मेरठ–250002 (उ0प्र0)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000
पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 693608

2

किराया ₹ 3,00,000/–वार्षिक

19-8-20

कुमार अविनाश
प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकबरा, केसर गंज
मेरठ–250002 (उ0प्र0)

अ0नि0प्रथम पक्ष

अ0नि0द्वितीय पक्ष

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 693607

3

स्टाम्प ₹ 60,100/-

19-8-20

कुमार अविनाश
प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकबरा, कैसर गंज
मेरठ–250002 (उ0प्र0)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CK 953910

4

पृष्ठः—08

अ०नि०प्रथम पक्ष अ०नि०द्वितीय पक्ष

19-8-20

कुमार अविनाश
प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकबरा, कैसर गंज
मेरठ–250002 (उ०प्र०)

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये FIFTY RUPEES

रु.50 Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AS 534831

हम कि **हाजी रईस अहमद** पुत्र स्व0 हैदर बख्श कौम शेख सिददीकी निवासी मौहल्ला नौगज़ा शहर व जिला अमरोहा **प्रथम पक्ष (मालिक)**

मौहम्मद अनस पुत्र श्री हाजी इकरार अहमद अंसारी निवासी मौहल्ला सटटी शहर व जिला अमरोहा **द्वितीस पक्ष (किराएदार)**

हर दो पक्षकारान उपरोक्त स्थान व पते के निवासी है। जो कि मवाज़ी एक किता आराजी बमय टीनपोश व लेटरीन व बाथरूम मय दिवार हाय इरचहार जानिब मय जुमला मौजूदात व मुताल्लिकात उसके मय आराजी तहती व सहनी तादादी **सात सौ छियासठ दशमलव चार पाँच (766.45) वर्ग मीटर** आराजी महदूदा जैल वाकै कस्बा अमरोहा खास अन्दर चुंगी नं0खसरा 2958,1,2 मुलहिक **मौहल्ला नौगज़ा सड़क बिजनौर रोड पर लबे सड़क** शहर व जिला अमरोहा जिसका प्रथम पक्ष मालिक व काबिज व दखील मुतासर्रिफ है। जो हर किस्म से पूर्णतः स्वच्छ व बारमुक्त है जिसको प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को मुबलिग 25,000/– रूपये मासिक यानि 3,00,000/–रूपये वार्षिक किराए पर द्वितीय पक्ष को दिनांक 21.12.018 से बमुददत 19 वर्ष 11 माह तक की अवधि हेतू लीज़ पर दी है तथा द्वितीय पक्ष ने हस्बे ज़ैल शरायत पर किराए पर ली हैः–

अ0नि0प्रथम पक्ष अ0नि0द्वितीय पक्ष

19-6-20

कुमार अविनाश
प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकबरा, केसर गंज
मेरठ–250002 (उ0प्र0)

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

35AA 299308

1. यह कि द्वितीय पक्ष निर्धारित लीज़ रेन्ट का भुगतान प्रथम पक्ष को वर्ष प्रतिवर्ष रसीद द्वारा अदा करता रहेगा । तथा लीज 21.12.2018 से प्रारंभ होकर 19 वर्ष 11 माह पूर होने तक निर्बाध रूप से चलती रहेगी।

2. यह कि द्वितीय पक्ष भूखण्ड उपरोक्त में पेट्रोल डीज़ल पम्प या आयल का कोई भी कार्य करता रहेगा तथा अपनी अवश्यकता अनुसार किराया अवधि के दौरान प्रथम पक्ष भूमि पर कोई अस्थाई निर्माण कराता है या भूमि मे कोई गडढा कराता है या बोरिंग करता है तथा बिजली मीटर लगवाता है अथवा मशीनरी स्थापित करता है पैट्रोल पम्प से संबधित कोई भी मशीनरी जेनरेटर आदि स्थापित करता है तो प्रथम पक्ष को उसमे कोई आपत्ति नही होगी। तथा पैट्रोल पम्प पर लगने वाले किसी भी टैक्स जी0एस0टी0 अथवा जिला पंचायत के टैक्स या किसी भी सरकारी टैक्स की अदायगी द्वितीय पक्ष ही करेगा। प्रथम पक्ष से कोई वास्ता ताल्लुक ना होगा।

3. यह कि द्वितीय पक्ष मिलकियत आराजी उक्त में अपना कोई भी कार्य कर सकता किन्तु ऐसा काम नही करेगा जो मजहबे इस्लाम के खिलाफ हो।

4. यह कि द्वितीय पक्ष को कम्पनी से लाईसेंस लेने में अथवा पम्प स्वीकृत कराने में प्रथम पक्ष के किसी एफिडेविट की या किसी अन्य सहमति पत्र की आवश्यकता पडती है तो प्रथम पक्ष कोई आपत्ति नही करेगा और यदि द्वितीय पक्ष को आवश्यकता पडती है तो प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष दोनो मिलकर कम्पनी के नाम सब–लीज लिख देंगे और प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नही होगी।

अ0नि0प्रथम पक्ष

अ0नि0द्वितीय पक्ष

19-8-20

अविनाश
प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकबरा, कैसर गंज
मेरठ–250002 (उ0प्र0)

क्रम सं० 35 दिनांक 31-12-2018
[illegible] स्टाम्प का [illegible] 4 [illegible]
[illegible] नाम व पूरा पता [illegible]
[illegible]
सरताज अहमद [illegible]
[illegible] 27 A तहसील [illegible] अमरोहा

पट्टा अनुबंध विलेख

प्रतिफल- 60000 स्टाम्प शुल्क - 60100 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 20000 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 40 योग : 20040

श्री हाजी रईस अहमद ,
पुत्र श्री हैदर बख्श
व्यवसाय : अन्य
निवासी: नौगजा अमरोहा

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 24/12/2018 एवं 12:08:58 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मनीष कुमार सिंह
उप निबंधक सदर
अमरोहा
24/12/2018

पी एन शर्मा
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

35AA 299309

5. यह कि अगर द्वितीय पक्ष निर्धारित लीज रेन्ट का समय पर भुगतान करता रहेगा तो किसी तरह से भी 19 वर्ष 11 माह तक बेदखल ना होगा तथा द्वितीय पक्ष अगर चाहेगा तो प्रथम पक्ष की सहमति से आगे भी अपनी किराएदारी कायम रख सकेगा।

6 , यह कि द्वितीय पक्ष मिलकियत आराजी उपरोक्त को जिस प्रकार चाहे अपनी इच्छा अनुसार अपने कार्यो में प्रयोग में लायें प्रथम पक्ष को कुछ उज्र व एतराज ना होगा और दोनो पक्षो की सहमति से मध्य अवधि में लीज़ डीड खण्डित (खारिज) की जा सकती है। तथा लीज डीड खारिज होने के बाद मालिकाना हकूक प्रथम पक्ष को हासिल रहेगें तथा द्वितीय पक्ष किराया अवधि के समाप्त होने पर अपने द्वारा स्थापित समस्त सामग्री अथवा अस्थाई निर्माण हटा सकेगा और भूमि को उसी स्थिति मे खाली करके देगा जैसे कि किराया अवधि के शुरू मे है।लीज़ डीड के पक्षकारान एंव उत्तराधिकारी पक्षकारान पाबंद व कारबंद रहेगें।

लिहाजा खूब सोच व समझकर व पढकर व सुनकर बादूरूस्ती होश व हवास अपनी खुशी व रजामन्दी से यह लीज़ डीड बमुददत 19 वर्ष 11 माह के लिए लिख दी है ताकि सनद रहे और वक्ते जरूरत पर काम आवे।फकत।

19-8-20

कुमार अविनाश
प्रादेशिक प्रबंधक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकबरा, केसर गंज
मेरठ–250002 (उ0प्र0)

पुष्टि विलेख 58.59

https://igrsup.gov.in/igrsup/showEndo

क्र० सं० ......36...... दिनांक ......21-12-19......

अंगूठा निशान का मूल्य ......

कुल पृष्ठ व कुल पाठ ......

पंजीकृत ......

सरताज अहमद

स्टाम्प वेण्डर 22 A कलेक्ट्रेट परिसर अमरोहा

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि व प्रलेखानुसार उक्त

पट्टा दाता: I

श्री हाजी इद्रीस अहमद, पुत्र श्री हैदर बख्श

निवासी : हैमजा अमरोहा

व्यवसाय: अन्य

पट्टा गृहीता: I

श्री मोहम्मद अनस, पुत्र श्री हाजी इकबाल अहमद अंसारी

निवासी : हट्टी अमरोहा

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री हाजी शफीक अहमद, पुत्र श्री मौ० हनीफ

निवासी : इमलकी अमरोहा

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

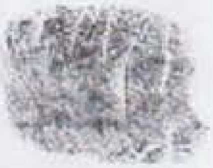

श्री मौ० आमिर पुत्र श्री हाजी इद्रीस अहमद

निवासी : हैमजा अमरोहा

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

मनीष कुमार सिंह

उप निबंधक : सदर

अमरोहा

पी एन शर्मा

कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये   TEN RUPEES

रु.10   Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

UP-06-025-303059   UP-06-025-288270

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   54AD 668393

8

हदूद अरबा:–

पूरब:– कब्रिस्तान मीर साहेबान।

पश्चिम:– सड़क सरकारी बिजनौर रोड।

दक्षिण:– इमारत नासिर अंसारी व ज़ाकिर अंसारी आदि।

उत्तर:– शेष आराजी रईस अहमद प्रथम पक्ष।

नोट:– प्रथम पक्ष की आई0डी0सं0 UP-6-025-0303055

द्वितीय पक्ष की आई0डी0सं0 7455-6037-2315

अ0नि0प्रथम पक्ष   अ0नि0द्वितीय पक्ष

गवाह   गवाह

आज दिनांक 21.12.018 को पक्षकारान के बताए विवरणानुसार बामुसव्विदा शुजाउल रब दुलारे दस्तावेज़ लेखक ने कम्प्यूटर द्वारा टाईप कराई।

19-8-2019

19640

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

35AA 304769

1

शुद्धि पत्र (तितम्मा)

स्टाम्प ₹ 100/–पृष्ठ–05

यूनीक कोड–62

अ0नि0 प्रथम पक्ष

अ0नि0 द्वितीय पक्ष

19-8-20

कुमार अविनाश
प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकबरा, केसर गंज
मेरठ–250002 (उ0प्र0)

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

35AA 304768

हम कि **हाजी रईस अहमद** पुत्र स्व0 हैदर बख्श कौम शेख सिददीकी निवासी मौहल्ला नौगज़ा शहर व जिला अमरोहा **प्रथम पक्ष (मालिक)** व **मौहम्मद अनस** पुत्र श्री हाजी इकरार अहमद अंसारी निवासी मौहल्ला सटटी शहर व जिला अमरोहा **द्वितीय पक्ष (किराएदार)** हर दो पक्षकारान निवासीगण उक्त पते के है जो कि प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के हक में एक लीज़ डीड बाबत एक किता आराजी बमय टीनपोश व लेटरीन व बाथरूम मय दिवार हाय हरचहार जानिब मय जुमला मौजूदात व मुताल्लिकात उसके मय आराजी तहती व सहनी तादादी **सात सौ छियासठ दशमलव चार पांच (766.45) वर्ग मीटर** आराजी महदूदा ज़ैल वाकै कस्बा अमरोहा खास अन्दर चुंगी नं0खसरा 2958,1,2 मुलहिक **मौहल्ला नौगज़ा सडक बिजनौर रोड पर लबे सडक** शहर व जिला अमरोहा की बाबत लीज़ डीड दि0 21.12.018 को

19-8-20

अ0नि0 प्रथम पक्ष

अ0नि0 द्वितीय पक्ष

कुमार अविनाश
प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकबरा, केसर गंज
मेरठ–250002 (उ0प्र0)

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

35AA 304762

है अतः बाहम फरीकैन यह इकरार करते है और लिखे देते है कि आज की तारीख से दस्तावेज़ सं0 20978 उक्त मे **शर्त नं0 04** यह कि द्वितीय पक्ष को भारत पेट्रोलियम कम्पनी से लाईसेन्स लेने में अथवा पैट्रोल पम्प स्वीकृत कराने में प्रथम पक्ष के किसी एफिडेविड की या किसी अन्य सहमति पत्र की आवश्यकता पडती है तो प्रथम पक्ष कोई आपत्ति नही करेगा यदि द्वितीय पक्ष उपरोक्त सम्पत्ति को भारत पेट्रोलियम कम्पनी के शर्तो के अनुसार सब लीज़ करता है तो प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नही होगी यदि भारत पेट्रोलियम कम्पनी चाहे तो सीधे प्रथम पक्ष से भी लीज़ कर सकती है जो सही है जिसको सही माना व पढा जाएगा जो सही है। अतः खूब सोच व समझ कर पढ़वाकर व सुनकर यह **शुद्धि पत्र तितम्मा** लिख दिया कि सनद हो और समय जरूरत पर काम आवे इति।

अ0नि0 प्रथम पक्ष

अ0नि0 द्वितीय पक्ष

19-8-20

कुमार अविनाश
प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकबरा, केसर गंज
मेरठ–250002 (उ0प्र0)

https://igrsup.gov.in/igrsu[illegible]

क्र० सं० ....[illegible]...... दिनांक 6-9-19

[illegible] ...

[illegible] ...

[illegible] ...

सरतान अहमद [illegible]

[illegible] 27 [illegible]

आवेदन सं०: [illegible]

बही सं०: 1 रजिस्ट्रेशन सं०: [illegible] वर्ष: 2019

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

प्रथम पक्ष: 1

श्री हाजी [illegible] अहमद, पुत्र श्री हैदर बक्श

निवासी: [illegible]

व्यवसाय: अन्य

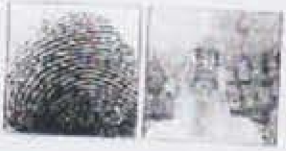

द्वितीय पक्ष: 1

श्री [illegible] पुत्र श्री हाजी इसरार अहमद अंसारी

निवासी: [illegible]

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता: 1

श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible]

निवासी: [illegible]

व्यवसाय: अन्य

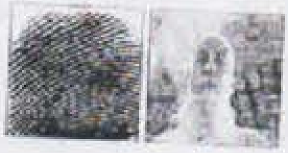

पहचानकर्ता: 2

श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible]

निवासी: [illegible]

व्यवसाय: अन्य

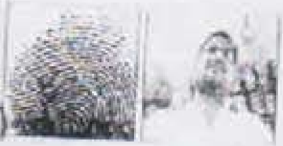

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।

टिप्पणी:

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मनीष कुमार सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

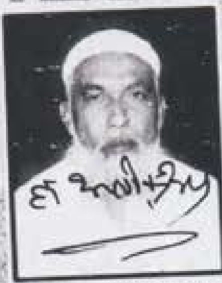

INDIA

NON JUDICIAL

UP.06.025.303059 UP.06.025.288270

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 35AA 304763

नोटः– शुद्धि पत्र बाबत लीज़ डीड द0सं0 20978 की शर्त नं0 04 जो सही है जिसको सही माना व पढा जाएगा यह है

शर्त नं0 04 यह कि द्वितीय पक्ष को भारत पेट्रोलियम कम्पनी से लाईसेन्स लेने में अथवा पैट्रोल पम्प स्वीकृत कराने में प्रथम पक्ष के किसी एफिडेविड की या किसी अन्य सहमति पत्र की आवश्यकता पडती है तो प्रथम पक्ष कोई आपत्ति नही करेगा यदि द्वितीय पक्ष उपरोक्त सम्पत्ति को भारत पेट्रोलियम कम्पनी के शर्तो के अनुसार सब लीज़ करता है तो प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नही होगी यदि भारत पेट्रोलियम कम्पनी चाहे तो सीधे प्रथम पक्ष से भी लीज़ कर सकती है जो सही है

प्रथम पक्ष की आई0डी0सं0 UP-6-025-0303055

द्वितीय पक्ष की आई0डी0सं0 7455-6037-2315

19-8-20

कुमार अविनाश
प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकबरा, केसर गंज
मेरठ–250002 (उ0प्र0)

अ0नि0 प्रथम पक्ष अ0नि0 द्वितीय पक्ष

गवाह गवाह

दस्तावेज़ की तकमील पक्षकारो के बताये विवरण अनुसार बामुसव्विदा शुजाउलरब दुलारे पक्षकारान ने कम्प्यूटर द्वारा टाईप करायी रु 20/-

हाजी शुजाउलरब लेखक दस्तावेज़ मो. नं. 9337571035

06-09-019